**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1836**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**चेन्नै के आईपीएबी में रिक्तियों को भरना**

**1836. श्री पी. विल्सनः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चेन्नै के बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तकनीकी सदस्यों के पदों को आज की तारीख तक भी नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं और क्या मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय ने चेन्नै के आईपीएबी के लिए स्थायी संरचना के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख):** न्‍यायाधीश (सेवानिवृत्‍त) मनमोहन सिंह, अध्‍यक्ष, आईपीएबी का कार्यकाल दिनांक 02 मार्च, 2020 के आदेश द्वारा आगे एक और वर्ष के लिए दिनांक 21.09.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

आईपीएबी के उपाध्‍यक्ष के पद का विज्ञापन दिया गया था और उक्‍त पद हेतु उपरोक्‍त विज्ञापन के संदर्भ में 13 आवदेन प्राप्‍त हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की सिविल अपील संख्या 8588 में दिनांक 13.11.2019 के आदेश द्वारा संगत नियमों को निर्धारित किया था। वित्त मंत्रालय ने नए अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण नियमावली (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तों), 2020 को दिनांक 12.02.2020 को अधिसूचित किया है जिसके आधार पर उपाध्‍यक्ष की नियुक्ति के लिए एक खोज-सह-चयन समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है।

पूर्ववर्ती खोज-सह-चयन समिति ने तकनीकी सदस्यों के 5 पदों (2 कॉपीराइट, 2 ट्रेडमार्क और 1 पेटेंट) के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की है। वर्तमान में यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है।

**(ग):** आईपीएबी को सुदृढ़ करने के लिए योजना के अंतर्गत आईपीएबी के स्थायी भवन के निर्माण के लिए आईपीएबी ने तोंदाइरपेट में नमक विभाग से 1.2 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है। इस विभाग को चैन्नई में भवन निर्माण के लिए आईपीएबी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

\*\*\*\*\*\*